6|4|2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा जानकारी दी गई कि पालना हो चुकी है। अतः पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]लियाँ जिला भीलवाड़ा

कायदा – 129)
ल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / राजस्व / 2026 / 547 दिनांकः– 17 / 04 / 2026

प्रेषिति :–

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियाँ

विषय :–इजराय प्र0सं0 03 / 2026 शंकरलाल बनाम कमलाशंकर में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाते हुए निर्णय एवं डिक्री पालना करने बाबत्।

प्रसंग :–श्रीमान् के पत्रांक / रीडर / 2026 / 63 दिनांक 12.01.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि इजराय मूल प्र0सं0 51 / 2025 निर्णय दिनांक 15.12.2025 में आदेशानुसार पटवार मण्डल बिजौलिया कलां के ग्राम बिजौलिया कलां में निर्णयानुसार राजस्व रेकार्ड में नामा0 सं0 3445 दिनांक 06.03.2026 से दर्ज किया जाकर अमल दरामद कर दिया गया है।

अतः पटवारी रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की नकले सलंग्न कर रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेपित है।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(ललित कुमार डीडवानिया)
तहसीलदार बिजौलिया